मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४८७/२०१६
आकाश सिंह उम्र १९ वर्ष पुत्र जितेन्द्र ठाकुर निवासी ८९७ बाहर दतिया गेट, पठौरिया थाना कोतवाली, झाँसी
------याची

प्रति

१. जितेन्द्र सोनी पुत्र किशोर सोनी निवासी १४३२ प्रेमगंज सीपरी बाजार झाँसी थाना सीपरी बाजार झाँसी जिला झाँसी
.........पंजीकृत स्वामी कार नं. यू.पी. ९३ ए डी ३९९९
२. अंकुर सोनी पुत्र किशोर सोनी निवासी १४३२, प्रेमगंज थाना सीपरी बाजार, झाँसी
.........चालक कार नं. यू.पी. ९३ ए डी ३९९९
------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री वीरेन्द्र कुमार
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री ए. के. मिश्रा

०५.०१.२०२१

पत्रावली में पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याची द्वारा विपक्षीगण सं. १ व २ के विरूद्ध ₹ ८,००,००० प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की ओर से ७४बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ७४बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षीगण सं. १ व २ के मध्य हुआ सुलहनामा ७४बी याची व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ७४बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षीगण सं. १ व २ क्रमशः प्रश्नगत कार के पंजीकृत स्वामी व चालक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ १,५०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेंगे। याची सुलहनामा ७४बी में दर्शित कुल ₹ १,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षीगण याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ७४बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा ७४बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ७४बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षीगण सं. १ व २ को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से याची को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ १,५०,००० (एक लाख पचास हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक शाखा, गोविन्द चौराहा झाँसी के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची आकाश सिंह अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.05 11:41:35 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi